UP
वन भूमि
3454
1-8-15

कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांकः /FP/UK/WATER/13054/2015 दिनॉकःदेहरादूनः 27 जुलाई, 2015

सेवा में,

निदेशक / वन संरक्षक,
नन्दादेवी बॉयोस्फियर रिजर्व,
गोपेश्वर।

विषयः– जनपद–चमोली में विधानसभा परिसर हेतु पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.55 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु उत्तराखण्ड पेयजल निगम को 20 वर्षो की लीज पर दिया जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भः– वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या 519/X-4-15/2(22)/2015 दिनांक 09–07–2015 (प्रति संलग्न)

महोदय,

वन एव पर्यावरण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन के उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र के द्वारा विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर कतिपय शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र मे अधिरोपित निम्नलिखित शर्तो का अनुपालन किया जाना है :–

1. शर्त संख्या–1 के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव वन प्रभाग, गोपेश्वर द्वारा प्रपत्र भाग–2 में अंकित 0.37 हे0 (Dense forest, Eco Class-V) के अनुसार रू0 3,12,650.00 एवं 0.18 हे0 (Open forest, Eco Class-V) के अनुसार रू0 1,18,260.00 अर्थात कुल रू0 4,30,910.00 (रू0 चार लाख तीस हजार नौ सौ दस) मात्र एन0पी0वी0 की धनराशि वन विभाग के पक्ष मे जमा की जानी हैं।

2. शर्त संख्या–2 के अनुपालन मे प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वचनबद्धता का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर से अतिरिक्त धनराशि जमा करायी जायेगी।

3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑन लाईन अवगत कराया गया है कि वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों में प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों की अनुपालन आख्या/चालान ऑन लाईन अपलोड किया जाय। उक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है कि FC amendment Rules 2014 के बिन्दु–8, उपबिन्दु– क एवं ख में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी, प्रयोक्ता एजेन्सी को सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तो के अनुसार डिमाण्ड नोट प्रेषित करेगें, जो प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा ऑन लाईन अपलोड करेगें, जिसका नोडल अधिकारी कार्यालय द्वारा ऑन लाईन सत्यापन किया जायेगा। तत्तपश्चात प्रयोक्ता एजेन्सी ऑन लाईन चालान जनरेट कर देय धनराशि के भुगतान की कार्यवाही करेगें।

4. शर्त संख्या–1 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त मद में देय धनराशी को RTGS के माध्यम से Compensatory Afforestation Fund (CAF) Uttaranchal SB A/C No. 037100101025229 कारपोरेशन बैंक, लोधी शाखा, नई दिल्ली में जमा करने का कष्ट करें। RTGS हेतु कारपोरेशन बैंक का IFSC Code-CORP0000371, MICR Code-110017007 एवं Branch Code-000371 है। कारपोरेशन बैंक की लोधी रोड शाखा में जमा करायी गयी धनराशि की पुष्टि हेतु कारपोरेशन बैंक द्वारा जारी पुष्टि का पत्र मय UTR न0 दिनांक सहित भी इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि इसकी सूचना तदर्थ कैम्पा को प्रेषित की जा सके।

5. शर्त संख्या–5 के अनुपालन मे प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिये जनपद कार्यबल की सस्तुतियॉं एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। प्रमाण–पत्र प्रेषित किया जाय।

6. शर्त संख्या–6 के अनुपालन मे प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव मे निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नही होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

7. शर्त संख्या–7 के अनुपालन में अवगत कराना है कि उपरोक्त शर्तों के अनुपालन होने के पश्चात प्रकरण में विधिव स्वीकृति हेतु शासन को लिखा जायेगा।

अतः राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित उक्त शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या सम्बन्धि प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से तीन प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
संलग्नः–यथोपरि।

भवदीय,

(मनोज चन्द्रन)
वन संरक्षक।

संख्या 350 /FP/UK/WATER/13054/2015 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. जिलाधिकारी, जनपद–चमोली। (संलग्नः–यथोपरि)
2. प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव वन प्रभाग, गोपेश्वर। (संलग्नः–यथोपरि)
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, रूद्रप्रयाग को इस आशय से प्रेषित कि उक्त धनराशियों का डिमाण्ड नोट सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से प्राप्त कर अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें। (संलग्नः–यथोपरि)

(मनोज चन्द्रन)
वन संरक्षक।

कार्यालय उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

Office of Deputy Conservator of Forests, Kedarnath Wildlife Division, Gopeshwar.

पत्रांकः— 360 / 12—1 गोपेश्वर, दिनांक 29 जुलाई 2015

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड,
पेयजल निगम, रूद्रप्रयाग।

विषयः— गैरसैंण विधान सभा परिसर पेयजल योजना हेतु वन विभाग अनापत्ति के सम्बन्ध में।

संदर्भः— आपका पत्रांक 3161 / वि०स०परि० गैरसैंण दिनांक 22-07—2015

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में परियोजना निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।
संलग्न:— यथोपरि।

भवदीय,

(आकाश कुमार वर्मा)
उप वन संरक्षक,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

100 पौधों का रोपण

योजना का नाम - [illegible] का निर्माण

रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या - 100 पौध

[illegible] - मोहन्ना वन क्षेत्र [illegible]

क्र. सं.	कार्य का नाम	मात्रा	दर	धनराशि
1.	गड्ढे खुदान (0.60 × 0.60× 0.60)	100	10.54	1054.00
2.	ट्री गार्ड क्रय करना	100	1500.00	150000.00
3.	पौधों की कीमत प्रथम वर्ष	100	1[illegible].00	1000.00
			योग प्रथम वर्ष	152054.00
1.	गड्ढे भराई कार्य पर व्यय (0.60 × 0.60× 0.60)	100	1.58	158.00
2.	पौधों की कीमत द्वितीय चरण	100	5.00	500.00
3.	ट्री गार्ड का सिर/बोझ ढुलान	100	100.00	10000.00
4.	ट्री गार्डों को फिक्स करना एवं रंग लगाना	100	100.00	10000.00
5.	पौधों का ट्रक द्वारा ढुलान 90 कि0मी0 दूरी से	100	7.00 प्र.सै. प्र. कि0मी0	630.00
6.	पौधों को ट्रक में लोड करना	100	0.37	37.00
7.	पौधों को ट्रक से अनलोड करना	100	0.30	30.00
8.	पौधों का सिर/बोझ ढुलान 04 कि0मी0 दूरी से	100	1.14 प्र.पौ.प्र.कि.मी	456.00
9.	पौधों का रोपण कार्य	100	1.72	172.00
10.	पौधों की प्रथम निराई गुड़ाई	100	1.18	118.00
11.	पौधों की द्वितीय निराई गुड़ाई	100	1.01	101.00
12.	प्रथम रोपण क्षेत्र की सुरक्षा 01 श्रमिक 7 माह	07 माह	2130.00	14910.00
			योग द्वितीय वर्ष-	36662.00
	तृतीय चरण क्षेत्र की देख रेख 01 श्रमिक	12 माह	2130.00	25560.00
	चतुर्थ चरण क्षेत्र की देख रेख 01 श्रमिक	12 माह	2130.00	25560.00
	पंचम चरण क्षेत्र की देख रेख 01 श्रमिक	12 माह	2130.00	25560.00
	षष्ठम चरण क्षेत्र की देख रेख 01 श्रमिक	12 माह	2130.00	25560.00
	सप्तम चरण क्षेत्र की देख रेख 01 श्रमिक	12 माह	2130.00	25560.00
	अष्टम चरण क्षेत्र की देख रेख 01 श्रमिक	12 माह	2130.00	25560.00
	नवम चरण क्षेत्र की देख रेख 01 श्रमिक	12 माह	2130.00	25560.00
	दशम चरण क्षेत्र की देख रेख 01 श्रमिक	12 माह	2130.00	25560.00
13.	अग्नि सुरक्षा कार्य	08 वर्ष	5000.00 प्र.वर्ष	40000.00
			कुल योग	433196.00

1 पेड़ की लागत 4331.[illegible]

[illegible] वनक्षेत्राधिकारी [illegible]